संख्या-27/2018-1192/58-2018-305/2014

प्रेषक

आर0पी0 सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
2-समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

उद्यान अनुभाग

लखनऊः दिनांकः 27 अप्रैल, 2018

विषयः प्रदेश में स्थापित जन सेवा केन्द्रों/लोकवाणी केन्द्रों/जनसुविधा केन्द्रों/ई-सुविधा केन्द्रों के माध्यम से ई-डिस्ट्रिक परियोजना के द्वारा उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 में कोल्ड स्टोरेज के लाइसेन्स/विस्तारीकरण/नवीनीकरण के लिए जनहित गारण्टी से संबंधित सेवाओं को आम जनमानस तक उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जन सामान्य को पारदर्शी सेवायें उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। वर्तमान में उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा उ0प्र0 कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम-1976 के अन्तर्गत कोल्ड स्टोरेज के पंजीकरण एवं नवीनीकरण की प्रक्रिया ऑफ लाइन हो रही थी, को ऑन लाइन कराया जा रहा है। इस संबंध में जनहित गारन्टी सेवाओं के कार्यक्रमों को www.janhit.uphorticulture.in और www.edistrict.up.nic.in पोर्टल पर अनुज्ञा/अनुजप्ति/नवीनीकरण कराये जाने का निर्णय लिया गया है। ऑन लाइन प्रक्रिया का विवरण निम्नवत है :-

1. उ0प्र0 कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम-1976 के अन्तर्गत अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए आवेदन की प्रक्रिया।
2. उ0प्र0 कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम-1976 के अन्तर्गत अनुज्ञा के अनुसार निर्माण के उपरान्त लाइसेन्स (अनुजप्ति) पंजीकरण/विस्तारीकरण के लिए आवेदन की प्रक्रिया।
3. उ0प्र0 कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम-1976 के अन्तर्गत संचालित शीतगृहों के नवीनीकरण कराने के लिए आवेदन की प्रक्रिया।
4. कोल्ड स्टोरेज के लाइसेन्स/विस्तारीकरण/नवीनीकरण के लिए लाइसेन्स फीस का विवरण :-

क्र0 सं0	कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करने की क्षमता (घन मीटर में)	सहकारी शीतगृह लाइसेन्स फीस (रू0 में)	सहकारी शीतगृह नवीनीकरण फीस (रू0 में)	निजी शीतगृह लाइसेन्स फीस (रू0 में)	निजी शीतगृह नवीनीकरण फीस (रू0 में)
1	2	3	4	5	6
1	01 से 282 तक	1100	600	1500	800
2	282 से अधिक 7000 तक	4500	2600	6000	3500
3	7000 से अधिक 15000 तक	7500	4500	10000	6000
4	15000 से अधिक	11200	7500	15000	10000

5. उपरोक्त पंजीकरण/नवीनीकरण की प्रक्रिया संबंधित जिला उद्यान अधिकारी के स्तर पर 10 दिन में, मण्डलीय उप निदेशक के स्तर पर 05 दिन में तथा निदेशक/लाइसेंसिंग अधिकारी (शीतगृह) के स्तर पर 10 दिन के अन्दर पूर्ण करते हुए लाइसेन्स जारी किया जायेगा।

http://srsandesh.up.nic.in

6. कोल्ड स्टोरेज के लाइसेन्स/विस्तारीकरण/नवीनीकरण के लिए लाईसेन्स फीस जमा करने के लिए लेखाशीर्षक का विवरण :-

0401-फसल कृषि कर्म 00800-अन्य प्राप्तियां 08-शीतगृह लाईसेन्स फीस

ग्यारह डिजिट का नम्बर	0	4	0	1	0	0	8	0	0	0	8

7. उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की उपरोक्त सेवाओं को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इन्टीग्रेड करने के उपरान्त जन सेवा केन्द्रों/लोकवाणी केन्द्रों/जन सुविधा केन्द्रों ई-सुविधा केन्द्रों पर आम नागरिकों से प्रत्येक शासकीय सेवा के प्रत्येक ट्रान्जेक्शन के लिए यूजर चार्ज आई0टी0 विभाग के शासनादेश के अनुसार लागू होंगे।

8. अगर कोई नागरिक सीधे विभागीय पोर्टल पर सेवा हेतु आवेदन करता है तो उस पर उपरोक्त यूजर चार्जेज लागू नहीं होंगे।

9. उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की सेवाओं को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इन्टीग्रेड करने हेतु विभागीय नोडल अधिकारी द्वारा एन0आई0सी0/एस0ई0एम0टी0 की तकनीकी टीम से समन्वय स्थापित किया जायेगा। ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इन्टीग्रेशन के पश्चात सभी संबंधित स्टेक होल्डर द्वारा पायलट आधार पर टेस्ट रन की कार्यवाही की जायेगी ताकि गो-लाईव के उपरान्त सेवाओं को प्रदान करने में किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।

10. यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि समस्त डिलीवरी प्वाइन्टस यथा- जन सेवा केन्द्रों/लोकवाणी केन्द्रों/जन सुविधा केन्द्रों तथा ई-सुविधा केन्द्रों द्वारा इलेक्ट्रानिक डिलीवरी सेवाओं को प्रदान किये जाने हेतु समस्त आवश्यक कार्यवाहियां यथा- इन्टीग्रेशन इत्यादि पूर्ण कर ली गयी हैं।

11. आवदेक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की सेवाओं को प्राप्त करने हेतु अपने निकटतम जनसेवा केन्द्र, लोकवाणी केन्द्र, जनसुविधा केन्द्र तथा ई-सुविधा केन्द्र में जाकर केन्द्र आपरेटर से अनुरोध करेगा। तदोपरान्त केन्द्र आपरेटर ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर Login करके सेवा प्रदान करेगा। आवेदक द्वारा प्राप्त की गयी संबंधित सेवा के लिए प्रस्तर-3 में निर्धारित यूजर चार्ज का भुगतान केन्द्र आपरेटर को किया जायेगा।

12. ई-डिस्ट्रिक पोर्टल से आये ई-रजिस्ट्रेशन/ई-रिटर्न को विभागीय सक्षम अधिकारी द्वारा उसी तरह प्रोसेस किया जायेगा जिस तरह वह वर्तमान में अपने विभागीय पोर्टल पर प्रोसेस कर रहे हैं।

2- कृपया उपरोक्तानुसार समस्त कार्यवाही शीर्ष-प्राथमिकता पर पूर्ण कराकर कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आर0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-27/2018-1192(1)/58-2018 तद्दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3- निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तर प्रदेश।
4- राज्य समन्वयक, सेन्टर फॉर ई-गावर्नेन्स, लखनऊ उत्तर प्रदेश।
5- एस0आई0ओ0 योजना भवन लखनऊ ।
6- हेड एस0ई0एम0टी0, उत्तर प्रदेश।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-28/2018-1194/58-2018-305/2014

प्रेषक

आर0पी0 सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
2-समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

उद्यान अनुभाग

लखनऊः दिनांक: 27 अप्रैल, 2018

विषयः प्रदेश में स्थापित जन सेवा केन्द्रों/लोकवाणी केन्द्रों/जनसुविधा केन्द्रों/ई-सुविधा केन्द्रों के माध्यम से ई-डिस्ट्रिक परियोजना के द्वारा उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, की जनहित गारण्टी से संबंधित सेवाओं को आम जनमानस तक उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जन सामान्य को किफायती पारदर्शी एवं सहज-सुलभ रीति से सेवायें उपलब्ध कराना सरकार की प्रतिबद्धता है। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की जनहित गारण्टी से संबंधित चिन्हित सेवाओं को प्रदेश में स्थापित जनसेवा केन्द्रों के माध्यम से प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है। पंजीकरण एवं नवीनीकरण की प्रक्रिया को ऑन लाइन किया जा रहा है। इस संबंध में जनहित गारन्टी सेवाओं के कार्यक्रमों को www.janhit.uphorticulture.in और www.edistrict.up.nic.in पोर्टल पर पंजीकरण एवं नवीनीकरण कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

2. उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में सम्यक विचारोपरान्त उद्यान विभाग की निम्नांकित सेवाओं को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से जन सामान्य को उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है :-

1	निजी क्षेत्र की पौधशालाओं के पंजीकरण का कार्य	अ-उ0प्र0 फल पौधशाला (विनियमन) अधिनियम-1976के अधीन निजी क्षेत्रों में स्थापित फल पौधशालाओं के पंजीकरण का कार्य। शासनादेश सं0-3863/58-2007-175/75 दि0-29.02.2008 के अनुपालन में। ब-पंजीकृत किये गये पौधशालाओं के नवीनीकरण का कार्य। शासनादेश-3863/58-2007-175/75 दि0-29.02.2008		
	पौधशाला का क्षेत्र	लाईसेंस फीस (रू0)	नवीनीकरण की फीस (रू0)	
	0.2 और 0.5 हेक्टेयर के बीच के क्षेत्रफल की फल पौधशाला	250	125	
	0.5 हेक्टेयर से अधिक किन्तु 2 हेक्टेयर से कम के क्षेत्रफल की फल पौधशाला	1000	500	
	2 हेक्टेयर और इससे अधिक क्षेत्रफल की फल पौधशाला	2500	1250	
	पौधशाला के पंजीकरण/नवीनीकरण हेतु लाईसेंस फीस चालान के माध्यम से निम्नांकित लेखाशीर्षक में धनराशि जमा की जायेगी :- 0401-फसल कृषि कर्म-00-800-अन्य प्राप्तियां-0900-फल पौधशाला लाईसेन्स फीस 0 4 0 1 0 0 8 0 0 0 9 0 0			

http://shasanadesh.up.nic.in

3. उपरोक्त सभी सेवाओं हेतु समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति के साथ निजी क्षेत्रों में स्थापित फल पौधशालाओं के पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत होने के दिनांक से 45 कार्य दिवस निदेशक उद्यान/लाईसेंसिंग अधिकारी(फल पौधशाला) उ0प्र0 द्वारा तथा पंजीकृत किये गये पौधशालाओं के नवीनीकरण का कार्य जनपदीय उद्यान अधिकारीउ0प्र0 द्वारा 25 कार्य दिवस में निस्तारण किया जाना अपेक्षित है।

4. उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की चयनित सेवाओं को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इन्टीग्रेड करने के उपरान्त जन सेवा केन्द्रों/लोकवाणी केन्द्रों/जन सुविधा केन्द्रों ई-सुविधा केन्द्रों पर आम नागरिकों से प्रत्येक शासकीय सेवा के प्रत्येक ट्रान्जेक्शन के लिए यूजर चार्ज आई0टी0 विभाग के शासनादेशानुसार लिये जायेंगे।

5. यदि कोई नागरिक सीधे विभागीय पोर्टल पर सेवा हेतु आवेदन करता है तो उस पर उपरोक्त यूजर चार्जेज लागू नहीं होंगे।

6. उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग उ0प्र0 की चयनित सेवाओं को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इन्टीग्रेड करने हेतु विभागीय नोडल अधिकारी द्वारा एन0आई0सी0/एस0ई0एम0टी0 की तकनीकी टीम से समन्वय स्थापित किया जायेगा। ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इन्टीग्रेशन के पश्चात सभी संबंधित स्टेक होल्डर द्वारा पायलट आधार पर टेस्ट-रन की कार्यवाही की जायेगी ताकि गो-लाईव के उपरान्त सेवाओं को प्रदान करने में किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े।

7. आवदेक द्वारा विभाग की सेवाओं को प्राप्त करने हेतु अपने निकटतम जनसेवा केन्द्र, लोकवाणी केन्द्र, जनसुविधा केन्द्र तथा ई-सुविधा केन्द्र में जाकर केन्द्र आपरेटर से अनुरोध करना होगा। तदोपरान्त केन्द्र आपरेटर ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर लॉग-इन कर सेवा प्रदान करेगा। आवेदक द्वारा प्राप्त की गयी संबंधित सेवा के लिए प्रस्तर-3 में निर्धारित यूजर चार्ज का भुगतान केन्द्र आपरेटर को किया जायेगा।

8. ई-डिस्ट्रिक पोर्टल से आये ई-रजिस्ट्रेशन/ई-रिटर्न को विभागीय सक्षम अधिकारी द्वारा उसी तरह प्रोसेस किया जायेगा जिस तरह वह वर्तमान में अपने विभागीय पोर्टल पर प्रोसेस कर रहे हैं।

2- कृपया उपरोक्तानुसार समस्त कार्यवाही शीर्ष-प्राथमिकता पर पूर्ण कराकर कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आर0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-28/2018-1194(1)/58-2018 तद्दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- निजी सचिव, प्रमुख सचिव आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3- निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तर प्रदेश।
4- राज्य समन्वयक, सेन्टर फॉर ई-गावर्नेन्स, लखनऊ उत्तर प्रदेश।
5- एस0आई0ओ0 योजना भवन लखनऊ ।
6- हेड एस0ई0एम0टी0, उत्तर प्रदेश।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in